# दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली

**आरक्षित:21 जनवरी 2014**

**निर्णीत: 16 अप्रैल 2014**

**आप.अ. 1047/2012**

नरेश कुमार .....अपीलार्थी

द्वारा: श्री हरीश खन्ना, अधिवक्ता

बनाम

राज्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री लवकेश साहनी, अति.लो.अभि.

**कोरम:**

**न्यायमूर्ति श्री एस.पी.गर्ग**

**एस.पी. गर्ग, न्या.,**

1. इस अपील में चुनौती सत्र वाद सं. 159/11 में दिनांक 18.08.12 के निर्णय को दी गई है, जो पुलिस स्टेशन प्रशांत विहार में दर्ज प्राथमिकी सं. 516/07 से उद्भूत हुयी थी, जिसके द्वारा अपीलार्थी नरेश कुमार को भा.दं.सं. की धारा 304(1)/34 के तहत दोषी ठहराया गया था। दिनांक 30.08.2012 के आदेश द्वारा उसे 5,000/- रुपये के जुर्माने के साथ दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

2. अभियोजन पक्ष का मामला, जैसा कि आरोप पत्र में पेश किया गया था, यह था कि दिनांक 24.07.2007 को दैनिक डायरी (डीडी) सं. 23ख (प्र.अभि.सा.-14/क) सुबह 9.37 बजे पुलिस स्टेशन, प्रशांत विहार में मोबाइल नं. 9958386072 से सूचना मिलने पर दर्ज की गई थी कि मेट्रो स्टेशन, सेक्टर -9, रोहिणी के पास एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटा जा रहा है। जांच का काम एचसी भरत लाल को सौंपा गया, जो कांस्टेबल महावीर सिंह के साथ घटनास्थल पर पहुँचे। उन्हें पता चला कि पीड़ित को पहले ही बीएसए अस्पताल ले जाया जा चुका था। चूंकि घटनास्थल पुलिस पोस्ट, रोहिणी की अधिकारिता में आता था, अतः वहां के संबंधित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक सूचना दी गई। एएसआई प्रेम सिंह, डीडी सं. 13 के जरिए सुबह 11.45 बजे कॉल प्राप्त करने पर उस पुलिस पोस्ट से कांस्टेबल वीरेंद्र के साथ घटनास्थल पर पहुँचे। बीएसए अस्पताल पहुंचने के बाद, उन्होंने घायल नंद लाल ठाकुर की एमएलसी ली एवं एचसी भरत लाल व कॉ. महावीर सिंह से मिले। घायल बयान देने में 'असमर्थ' था। दोपहर 12.30 बजे जब नंद लाल ठाकुर को होश आया, तो एएसआई प्रेम सिंह ने उसका बयान (प्र.अभि.सा.-22/क) दर्ज किया तथा भा.दं.सं. की धारा 308/341/506/34 के तहत उस पर समर्थन करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। बयान में, नंद लाल ठाकुर ने प्रकटीकरण दिया कि लगभग 9.25 बजे जब वह बस से उतरने के बाद पैदल रोहिणी न्यायालय जा रहा था और डिस्ट्रिक्ट पार्क, सेक्टर 14, रोहिणी

में पहुंचा, तो उसे चार/पांच व्यक्तियों ने रोका; उनमें से दो बेसबॉल बैट व लकड़ी के डंडे से लैस थे; और उन्होंने उसे घायल कर दिया। उन्होंने उससे कहा कि वह उनके खिलाफ दर्ज मामला वापस ले ले, नहीं तो वे उसे जान से मार देंगे। उसने नरेश कुमार निवासी बुध विहार को हमलावरों में से एक के रूप में पहचाना और दावा किया कि वह अन्य लोगों को भी पहचानता है। आगे की जांच एसआई के.पी.तोमर ने संभाली। गुप्त सूचना के आधार पर, नरेश को उसी दिन शाम को जापानी पार्क, रोहिणी के गेट सं. 2 के पास से गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसकी निशानदेही पर अपराध में उसके सहयोगी परवीन को गिरफ्तार किया गया, जिसने झाड़ियों से एक बेसबॉल बैट बरामद करवाया। दिनांक 28/29.07.07 की रात को, नंद लाल ठाकुर ने अस्पताल में चोटों के कारण दम तोड़ दिया तथा डीडी सं. 9क (प्र.अभि.सा.-28/ख) दर्ज किया गया। शव का पोस्टमार्टम किया गया तथा धारा भा.दं.सं. की धारा 302 जोड़ी गई। जांच के दौरान, तथ्यों से परिचित साक्षी के बयान दर्ज किए गए। जांच पूरी होने के बाद, नरेश व प्रवीण के खिलाफ आरोप-पत्र पेश किया गया। आरोप-पत्र में राम निवास एवं राकेश को कॉलम सं. 2 में रखा गया था। राम निवास एवं राकेश के खिलाफ संज्ञान लिए बिना ही विद्वान महानगर दंडाधिकारी ने मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया। नरेश कुमार एवं प्रवीण पर विधिवत आरोप लगाए गए तथा उन्हें विचारण हेतु लाया गया। अभियोजन पक्ष ने उनके अपराध को साबित करने के लिए 28 गवाहों की

जांच की। 313 कथनों में, उन्होंने अपराध में अपनी संलिप्तता से इनकार किया एवं झूठे आरोप लगाने का दावा किया। उन्होंने बचाव में किसी साक्षी से पूछताछ नहीं की। साक्ष्यों का मूल्यांकन करने तथा पक्षकारों की प्रतिद्वंदी प्रतिविरोधों पर विचार करने के पश्चात्, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी-नरेश कुमार को पहले उल्लेखित अपराध करने के लिए दोषी ठहराया। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रवीण को आरोपों से बरी कर दिया गया था। राज्य ने अपीलार्थी नरेश कुमार को बरी किये जाने और भा.दं.सं. की धारा 302 के बजाय भा.दं.सं. की धारा 304(1)/34 के तहत दोषी ठहराये जाने को चुनौती देने के लिए कोई अपील नहीं की थी।

3. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा अभिलेख की जांच की है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आग्रह किया कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का सही एवं उचित मूल्यांकन नहीं किया। अभि.सा.-1 (सुनील कुमार), मुख़बिर ने अपीलार्थी की पहचान के संबंध में अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया तथा अभियोजन पक्ष द्वारा उसे 'शत्रु' घोषित नहीं किया गया। जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया मृत्युकालिक कथन अत्यधिक संदिग्ध तथा संदेहास्पद है। पीड़ित बयान देने के लिए 'असमर्थ' था, क्योंकि घटना के पश्चात उसे कभी होश नहीं आया। मृत्युकालिक कथन दर्ज करने से पूर्व संबंधित चिकित्सक से कोई अनुमति नहीं ली गई तथा यह रहस्य है कि जांच करने वाले चिकित्सक के किसी प्रमाण-पत्र/अनुमोदन के अभाव में उस दिन

दोपहर 12.30 बजे पीड़ित को 'बयान देने के लिए योग्य' किसने घोषित किया। चूंकि रोगी की हालत गंभीर थी, अतः उसके परिजनों ने उसे चिकित्सकीय सलाह के विपरीत छुट्टी दिलवा दी तथा जयपुर गोल्डन अस्पताल में भर्ती करा दिया। पीड़ित के परिजनों ने जांच अधिकारी पर उसका बयान सही ढंग से दर्ज न करने का आरोप लगाया तथा इस संबंध में शिकायत दर्ज करायी। दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत अभि.सा.-8 (दुर्गा देवी) के बयान को दर्ज करने में अत्यधिक देरी की वजह स्पष्ट नहीं की गई। अपीलार्थी, जो रिठाला गांव का निवासी है, कभी भी बुध विहार में नहीं रहा या कोई व्यवसाय नहीं किया और यह गलत पहचान का मामला था। सह-आरोपी (प्रवीण) को उन्हीं सबूतों के आधार पर बरी कर दिया गया, हालांकि कथित तौर पर अपराध के हथियार को उसकी निशानदेही पर बरामद किया गया था। अपीलार्थी के पास पीड़ित को चोट पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं था। विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने आग्रह किया कि निर्णय सबूतों के निष्पक्ष मूल्यांकन पर आधारित है। जांच अधिकारी के पास मृतक-नंद लाल ठाकुर के बयान (प्र.अभि.सा.-22/क) को गढ़ने या उसमें छेड़छाड़ करने का कोई अंतरस्थ हेतु नहीं था।

4. निर्विवाद रूप से, पीड़ित-नंद लाल ठाकुर की हत्या की गई थी। इस बिंदु पर चिकित्सा साक्ष्य स्पष्ट हैं। अभि.सा.-3 (डॉ. भावना जैन) ने दिनांक 24.07.2007 को एमएलसी (प्र.अभि.सा.-3/क) द्वारा रोगी की चिकित्सा जांच

की। इसमें रोगी के शरीर के विभिन्न अंगों पर विभिन्न चोटों का वर्णन किया गया था। अभि.सा.-4 (डॉ. के. गोयल) ने दिनांक 29.07.2007 को पोस्टमार्टम किया। शरीर पर निम्नलिखित बाहरी चोटें पाई गईं:-

(i) दाहिने हाथ, दाहिने कोहनी और दाहिने अग्रबाहु के ऊपरी दो तिहाई भाग पर फैले हुए संयुक्त घाव, हाथ के बाहरी भाग पर तथा अग्रबाहु के कुछ स्थानों पर अस्पष्ट रेल-रोड पैटर्न, नीले-हरे रंग के।

(ii) बायें हाथ के मध्य भाग पर 8'X3' इंच के क्षेत्र में फैले हुए चोट के निशान।

(iii) छाती के पीछे दाहिनी ओर 20 x 14 सेमी क्षेत्र में फैले हुए रेल-रोड पैटर्न के चोट के निशान।

(iv) दाहिने निप्पल और बगल के बीच दाहिनी छाती पर 10 x 8 सेमी क्षेत्र में रेल रोड पैटर्न के साथ फैले हुए चोट के निशान।

(v) दाहिने घुटने के ऊपर 12 x 7 सेमी क्षेत्र में रेल-रोड पैटर्न के निशान, अग्र-पार्श्वीय पहलू पर स्थित।

(vi) दाएं हाथ की बांह के पिछले हिस्से पर 11 सेमी लंबा सर्जिकल टांका घाव। जांच में पाया गया कि दाएं हाथ की उलना हड्डी में फ्रैक्चर था जिसे कीलों और प्लेट से ठीक किया गया।

(vii) 5 सेमी लंबा आंशिक रूप से सिला हुआ घाव, जिसके चारों ओर 15 x 12 सेमी क्षेत्र में फैली हुई चोट है, तथा दाहिने पैर के ऊपरी मध्य अग्र भाग पर अस्पष्ट रूप से रेल-रोड पैटर्न बने हुए हैं।

(viii) बाएं घुटने के सामने और पार्श्व भाग पर 14 x 9 सेमी के क्षेत्र में रेल-रोड पैटर्न के निशान।

(ix) बायीं जांघ, बायें घुटने और बायें पैर के पिछले भाग पर रेल-रोड के निशान के साथ मिश्रित चोटें।

(x) बाएं पैर के मध्य भाग पर लगभग 13 सेमी लंबा तथा बाएं पैर के ऊपरी भाग पर लगभग 8 सेमी लंबा सर्जिकल सिला हुआ घाव। जांच करने पर बाएं टिबिया का फ्रैक्चर पाया गया जिसे कीलों और प्लेट से ठीक किया गया था।

उनकी राय में, सभी चोटें मृत्यु से पहले की प्रकृति की थीं, जो कठोर, कुंद और बलपूर्वक प्रहारों के कारण हुई थीं। मृत्यु का कारण लंबी हड्डी के फ्रैक्चर के परिणामस्वरूप श्वासावरोध (एआरडीएस) था। मृत्यु का समय दिनांक 28.07.07 को शाम 08.10 बजे निर्धारित किया गया था। दिनांक 27.09.07 को, उन्होंने अपराध के हथियार अर्थात् बेसबॉल बैट की जांच की और उनकी राय थी कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उल्लिखित रेल-रोड पैटर्न वाली चोटें उक्त बेसबॉल बैट या इसी तरह के बैट से संभव थीं। घटना से पहले पीड़ित स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट था। उसके शरीर पर अलग-अलग आयामों की कई चोटें घातक साबित हुईं और पांच दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जाहिर है, यह आपराधिक मानव हत्या का मामला था।

5. महत्वपूर्ण परिसाक्ष्य अभि.सा.-22 (प्रेम सिंह, तत्कालीन ए.एस.आई.) की है, जिसने दिनांक 24.07.2007 को बी.एस.ए. अस्पताल में मृत्युकालिक बयान दर्ज किया था। उसने बयान दिया कि दिनांक 24.07.2007 को लगभग 11.45 बजे दैनिक डायरी 13 (प्र.अभि.सा.-21/क) प्राप्त होने पर वह और कॉ.

वीरेंद्र बी.एस.ए. अस्पताल पहुँचे और घायल नंद लाल ठाकुर की एम.एल.सी. प्राप्त की, जो बयान में असमर्थ था। वह (उप.नि. प्रेम सिंह) अस्पताल में इंतजार करता रहा और लगभग 12.30 बजे जब पीड़ित को डॉक्टर द्वारा 'बयान देने के लिए समर्थ' घोषित किया गया, तब उसने अपना बयान दर्ज किया (प्र.अभि.सा.-22/क)। उसने प्र.अभि.सा.-22/क पर बिंदु 'सी' से 'सी' तक पृष्ठांकन करके प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रति-परीक्षा में उसने प्रकट किया कि वह दोपहर करीब 12/12.15 बजे अस्पताल पहुंचा था और उस समय घायलों के किसी भी परिवार के सदस्य से नहीं मिला। जाहिर है, पीड़ित के मृत्युकालिक कथन की रिकॉर्डिंग के बारे में साक्षी के परिसाक्ष्य प्रतिपरीक्षा में चुनौती नहीं दी गई। अगर पीड़ित बयान देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था तो कुछ भी सुझाव नहीं दिया गया। उसके द्वारा दर्ज किए गए बयान (प्र.अभि.सा.-22/क) की वास्तविकता और प्रामाणिकता पर प्रतिपरीक्षा में सवाल नहीं उठाया गया। झूठा बयान गढ़ने या बनाने के लिए उन्हें कोई अंतरस्थ हेतु नहीं सौंपा गया था। बयान (प्र.अभि.सा. 22/क) नियमित तरीके से मामला दर्ज करने के उद्देश्य से लिया गया था। मृत्यु के बाद, इसे मृत्युकालिक कथन के रूप में माना गया। अभि.सा.-17 (कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह), जो उनके साथ अस्पताल गए थे, ने भी उनके बयान की पूरी तरह पुष्टि की। उन्होंने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि लगभग 12.30 या 12.40 बजे, पीड़ित को डॉक्टर ने 'बयान के लिए समर्थ' घोषित किया और जांच अधिकारी

ने उनका बयान दर्ज किया। रुक्का उन्हें सौंप दिया गया और उन्होंने ड्यूटी अधिकारी के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रतिपरीक्षा में, जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए पीड़ित द्वारा दिए गए बयान को चुनौती नहीं दी गई। अभि.सा.-15 (कांस्टेबल चरण सिंह), कंप्यूटर ऑपरेटर, पीएस प्रशांत विहार ने लगभग 2.05 बजे इन साक्षी के बयानों से यह अनुमान लगाने के लिए कोई ठोस कारण मौजूद नहीं है कि पीड़ित ने जांच अधिकारी प्रेम सिंह (अभि.सा.-22) के समक्ष बयान (अभि.सा.-22/क) नहीं दिया। शुरुआत में, घटना के दिन ही दर्ज की गई प्राथमिकी भा.दं.सं. की धारा 308/341/506/34 के तहत अपराध के लिए थी। जब दिनांक 29.07.2007 को पीड़ित की मौत हो गई, तो भा.दं.सं. की धारा 302 जोड़ी गई। अपीलार्थी का नाम दिनांक 24.07.2007 को ही बयान (प्र.अभि.सा.-22/क) में सामने आया और उसे उसी दिन रात करीब 08.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। किसी भी स्तर पर अपीलार्थी को जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयान (प्र.अभि.सा.-22/क) की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं था। एमएलसी (प्र.अभि.सा.-3/क) में मरीज के बीएसए अस्पताल में पहुंचने का समय सुबह 10.30 बजे दर्ज किया गया है। सुबह 10.40 बजे पीड़ित 'बयान देने के लिए असमर्थ' थी। एमएलसी में दोपहर 12.30 बजे 'बयान देने के लिए समर्थ' का एक और समर्थन है। डॉ. भावना जैन (अभि.सा.-3) जिन्होंने पीड़िता की 'कुछ लोगों' द्वारा कथित तौर पर मारपीट के इतिहास के साथ चिकित्सकीय जांच

की, एमएलसी (प्र.अभि.सा.-3/क) साबित हुई। प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने बताया कि मरीज का अस्पताल में उचित उपचार चल रहा था और वह चिकित्सकीय सलाह के विपरीत चला गया। उनसे यह नहीं पूछा गया कि पीड़ित को कब होश आया और कैसे और किस तरह से एमएलसी (प्र.अभि.सा.-3/क) पर दोपहर 12.30 बजे 'बयान देने के लिए समर्थ' का समर्थन आया। यदि मरीज बेहोश रहा या अस्पताल से छुट्टी मिलने तक बयान देने के लिए असमर्थ था, तो रिश्तेदारों द्वारा उसे कुछ भी सुझाव नहीं दिया गया, अभि.सा.-3 (डॉ. भावना जैन) के पास झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का कोई उद्देश्य/कारण नहीं था। अभि.सा.-2 (मधु ठाकुर), पीड़ित की बेटी, और अभि.सा.-8 (दुर्गा देवी), मृतक की पत्नी ने भी अभिसाक्ष्य दिया है कि जांच अधिकारी ने अस्पताल में पीड़ित का बयान दर्ज किया। उनकी शिकायत यह थी कि इसे सही तरीके से दर्ज नहीं किया गया था और जांच अधिकारी ने कुछ हमलावरों के नाम छोड़ दिए थे। बयान (प्र.अभि.सा.-22/क) में पीड़ित के हस्ताक्षर हैं। अपीलार्थी ने इस बात को चुनौती नहीं दी कि यह पीड़ित के हस्ताक्षर नहीं थे।

6. कथन (प्र.अभि.सा.-22/क) की जांच करने पर पता चलता है कि नंद लाल ठाकुर ने घटना का विस्तृत विवरण दिया और कहा कि दिनांक 24.07.2007 को लगभग 09.25 बजे जब वह बस से उतरने के बाद डिस्ट्रिक्ट पार्क, सेक्टर 14 से रोहिणी कोर्ट (जहां वह महानगर दंडाधिकारी श्री विजय शंकर के न्यायालय में रीडर था) पैदल जा रहा था, तो उसे चार/पांच लड़कों ने घेर

लिया और उसका रास्ता रोका। उनमें से दो ने उसे पकड़ लिया और अन्य दो जो बेसबॉल और लकड़ी के डंडे से लैस थे, ने उसकी पिटाई की। उन्होंने उसे मामला वापस नहीं लेने की स्थिति में जान से मारने की धमकी दी। उसने नरेश निवासी बुध विहार की पहचान केबल व्यवसाय/नौकरी करने वाले हमलावरों में से एक के रूप में की, जिनसे वह घटना से पहले से परिचित था। उसने अपने साथियों को पहचानने का दावा किया। स्पष्ट रूप से, नरेश निवासी बुध विहार जांच अधिकारी या पीड़िता के परिवार के सदस्यों की प्रतिपरीक्षा के दौरान विचारण के दौरान उसकी पहचान पर कभी सवाल नहीं उठाया गया या उसे चुनौती नहीं दी गई। यह अभिलेख में आया है कि राम निवास, जो कॉलम सं. 2 में दिखाए गए संदिग्धों में से एक था, बलात्कार के मामले में विचारण का सामना कर रहा था। अपीलार्थी-नरेश उसका भतीजा है और उसके केबल व्यवसाय में उसके साथ जुड़ा हुआ था। अभि.सा.-2 (मधु ठाकुर), पीड़िता की बेटी ने स्वीकार किया कि नरेश रिठाला गांव में रहता था। उसे विशेष रूप से सुझाव दिया गया कि नरेश को झूठा फंसाया गया था क्योंकि उसकी राम निवास के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी थी, जिसके साथ नरेश काम कर रहा था। अभि.सा.-8 (दुर्गा देवी), मृतक की पत्नी ने प्रकट किया कि जिस इलाके में वह रह रही थी, वहां का केबल ऑपरेटर राम निवास उसे जानता था और वह बलात्कार के एक मामले में आरोपी था जिसमें उसकी बेटी अभियोक्त्री थी अपीलार्थी की यह अभिवचन कि यह गलत पहचान का

मामला था, बिल्कुल भी बल नहीं रखती तथा इसे पूरी तरह खारिज किया जाना चाहिए।

7. मृत्युकालिक कथन में पीड़ित ने प्रकट किया कि अपराध का हथियार बेसबॉल बैट था। मुखबिर अभि.सा.-1 (सुनील कुमार) और अभि.सा.-11 (वीरेंद्र सिंह मान) के परिसाक्ष्य से इसकी पुष्टि होती है। दिनांक 24.07.2007 को डिस्ट्रिक्ट पार्क में मौजूद अभि.सा.-1 (सुनील कुमार) ने देखा कि दो या तीन व्यक्ति एक व्यक्ति को बेसबॉल बैट से पीट रहे थे। उसने अपने मोबाइल नं. 9958386072 से 100 नं. पर कॉल किया। उसने बयान दिया कि कुछ देर बाद पीसीआर वैन आई और उसने वह जगह बताई जहां पीड़ित को पीटा गया था। उसने उन्हें बेस बॉल का टूटा हुआ डंडा भी दिखाया। प्रतिपरीक्षा में उसने बताया कि पीसीआर वैन 10/15 मिनट के भीतर घटनास्थल पर आ गई थी। पीसीआर अधिकारी ने एंबुलेंस को बुलाया। पीड़ित उस समय बोलने में असमर्थ था।

मंगोल पुरी स्थित सीएटीएस एम्बुलेंस स्टेशन में तैनात अभि.सा.-11 (वीरेंद्र सिंह मान) ने अभिसाक्ष्य में कहा कि सुबह करीब 09.50 बजे पीसीआर कॉल आने पर वह अजय कुमार शर्मा के साथ घटनास्थल पर पहुँचा। पीड़ित बेसुध हालत में था, कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं था और उसके हाथ, पैर में चोटें थीं। उसे एमएलसी सं. 3832 सीआर सं. 61504 के तहत बीएसए

अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका निजी सामान ड्यूटी कांस्टेबल को सौंप दिया गया। फॉर्म (प्र.अभि.सा.-11/क) भरा गया। स्थानीय पुलिस ने उससे अस्पताल में मुलाकात की और उसने वह स्थान दिखाया जहां घायल पड़ा हुआ था। प्रतिपरीक्षा में उसने प्रकट किया कि उसने बेस बॉल बैट ड्यूटी कांस्टेबल को सौंप दिया था। बीएसए अस्पताल में ड्यूटी कांस्टेबल अभि.सा.-12 (एएसआई विजय कुमार) ने भी उसके बयान की पुष्टि की बेस बॉल/डंडा जिस पर आरबीके (धोनी) स्मैश का लेबल लगा हुआ था, उसने यह कहते हुए पेश किया कि यह घटनास्थल पर घायलों के पास पड़ा मिला था। यह बल्ला (प्र.अभि.-1) बाद में एएसआई प्रेम सिंह को सौंप दिया गया।

8. अपीलार्थी की सजा मुख्य रूप से जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए मृत्युकालिक कथन पर आधारित है। यह विधि द्वारा स्थापित है कि मृत्युकालिक कथन को दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि मृत्युकालिक कथन पर दोषसिद्धि को आधार बनाने के लिए, उसे स्वैच्छिकता, मृत्युकालिक कथन करने वाले की मानसिक स्थिति की स्वस्थता एवं साक्षी पर किसी अन्य कारक का प्रभाव न होना तथा कथन की सत्यता (*लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य* 2002 (6) एससीसी 710) के सभी परीक्षणों को पास करना होगा। वर्तमान मामले में, अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि कथन (प्र.अभि.सा.-22/क) किसी शिक्षण या प्रेरणा का परिणाम था या कल्पना की उपज था।

अभिलेख पर ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं था जिससे संदेह हो कि जांच अधिकारी की अपीलार्थी के प्रति कोई दुश्मनी थी या वह किसी भी तरह से मृत्युकालिक कथन को गढ़ने में रुचि रखता था। मृतक के पास अपने कथन के निहितार्थ को समझने की पूरी शक्ति थी और यह कथन बिना किसी बाहरी प्रभाव या गुप्त उद्देश्य के दिया गया था। पीड़ित ने अन्य हमलावरों का नाम नहीं बताया, हालांकि उसे राम निवास से खास दुश्मनी थी और विचारण न्यायालय ने आरोप-पत्र में कॉलम सं. 2 में उसका नाम दिखाए जाने के बावजूद उसके खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गयी। यहां तक कि प्रवीण, जिसने अपीलार्थी के साथ विचारण का सामना किया, उसका नाम भी पीड़ित ने नहीं लिया और उसे आरोप से बरी कर दिया गया। मृतक घटना से पहले स्वस्थ और तंदुरुस्त था और अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। दिन के समय में हमलावरों के साथ उसका सीधा टकराव हुआ था और उसे उन्हें देखने और पहचानने का उचित और स्पष्ट अवसर मिला था। चूंकि अपीलार्थी घटना से पहले उससे परिचित था, अतः पीड़ित अपने मृत्युकालिक कथन में उसका नाम बताने में सक्षम था। अन्य हमलावर जो उसे नहीं जानते थे और शायद किराए के गुंडे थे, उनकी पहचान नहीं हो सकी और वह अपने बयान में उनका नाम नहीं ले सका था।

9. अभियोजन पक्ष ने सबूत पेश किए हैं कि राम निवास, अपीलार्थी का चाचा, बलात्कार के एक मामले में आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहा था,

जिसमें मृतक की बेटी अभियोक्त्री थी। अभि.सा.-24 (एएसआई सज्जन सिंह) ने प्रकट किया कि मामला प्राथमिकी सं. 895/2005 के तहत भा.दं.सं. की धारा 365/376/506/34 के तहत पुलिस स्टेशन सुल्तान पुरी में पंजीकृत था और न्यायालय के समक्ष लंबित था, जहां सुनवाई की अगली तिथि 21.09.2011 थी। अभि.सा.-8 (श्रीमती दुर्गा देवी) ने स्पष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया कि उनके पति की हत्या उनकी बेटी के बलात्कार के मामले के कारण दुश्मनी के कारण की गई थी, जिसमें राम निवास आदि आरोपी था। उसे और उसके पति को रेखा (कृष्ण पाल उर्फ बबलू की पत्नी) द्वारा उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन रोहिणी में दर्ज प्राथमिकी सं. 502/2006 (प्र.अभि.सा.-9/क) के मामले में भी फंसाया गया था। अपीलार्थी, राम निवास का करीबी रिश्तेदार होने के कारण, पीड़ित को चोट पहुंचाने तथा उसके चाचा के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला वापस लेने के लिए उसे आपराधिक रूप से धमकाने का उद्देश्य रखता था।

10. अभि.सा.-1 (सुनील कुमार) पुलिस का मुखबिर था। दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत अपने बयान में उसने हमलावरों को पहचानने का दावा नहीं किया। उसने अपने मोबाइल से 100 नंबर पर कॉल करते समय हमलावरों का व्यापक हुलिया/विवरण नहीं दिया। उसके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर दर्ज डीडी सं. 23ख में भी हमलावरों की संख्या दर्ज नहीं है। जब अभि.सा.-11 (वीरेंद्र सिंह मान) मौके पर पहुँचे तो वह वहां नहीं मिला। मौके पर केवल पीसीआर

अधिकारी ही मिले। अभि.सा.-1 ने दावा किया कि वह सुबह 09.30-9.45 बजे के बीच मौके से चला गया था। वह अपना बयान दर्ज करने और हमलावरों की संख्या और उनके व्यापक हुलिए के बारे में पुलिस को सूचित करने के लिए नहीं रुका। केवल प्रतिपरीक्षा में उसने प्रकट किया कि वह हमलावरों को पहचान सकता है और न्यायालय में विचारण का सामना कर रहे आरोपी हमलावर नहीं थे। चूंकि इस साक्षी पर चश्मदीद गवाह के तौर पर भरोसा नहीं किया गया था, अतः प्रतिपरीक्षा में उसका यह बयान कि आरोपी हमलावर नहीं थे, बहुत कम महत्व रखता है। सह-आरोपी प्रवीण को बरी करना अप्रासंगिक है। प्रवीण को सबूतों के अभाव में बरी किया गया और उसका नाम मृत्युकालिक कथन में नहीं था। अभियोजन पक्ष ठोस व पुख्ता सबूत पेश करके अपीलार्थी के अपराध को साबित करने में सक्षम था। आक्षेपित निर्णय सबूतों के निष्पक्ष मूल्यांकन पर आधारित है तथा इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यक्ता नहीं है। चूंकि एक बूढे व्यक्ति को बेरहमी से पीटा गया और उसकी किसी गलती के बिना उसके शरीर पर कई चोटें पहुंचाई गईं, अतः अपीलार्थी को दी गई सजा को अनुचित या अत्यधिक नहीं कहा जा सकता है।

11. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, अपील को अयोग्य मानते हुए खारिज किया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा एवं दंड को बरकरार रखा जाता है। विचारण न्यायालय का अभिलेख इस आदेश की प्रति के साथ तुरंत वापस भेजा जाये।

**(एस.पी. गर्ग)**

**न्यायाधीश**

16 अप्रैल 2014/एसए

*(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

***अस्वीकरण :*** *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*